

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव ,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त उद्योग संघ, उ0प्र0।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2021

विषय: "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-4/2021/1792/78-2-254एलसी/2019 दिनांक 28 जनवरी 2021 द्वारा "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" अधिसूचित की गई है। उक्त नीति निम्न शर्तों के अधीन लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

1- परिचय-

- 1.1 इस शासनादेश को उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश के नाम से जाना जायेगा।
- 1.2 उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 उसकी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित है।

2- उद्देश्य -

"उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" का उद्देश्य वैश्विक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा डाटा सेन्टर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई./स्टार्ट-अप्स को आकर्षित करके राज्य में एक विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसके लक्ष्यों में राज्य में 250 मेगा वॉट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किया जाना, राज्य में रु 20,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट करना तथा कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क स्थापित किया जाना है।

3- परिभाषाएँ -

- 3.1 डाटा सेन्टर पार्क, डाटा सेन्टर इकाई तथा डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ता की परिभाषायें नीति के प्रस्तर-6 क्रमशः 6.1, 6.2 व 6.3 के अनुसार होगी। नीति के क्रियान्वयन हेतु अन्य परिभाषायें निम्नवत होगी।
- 3.2 **आवेदक/कम्पनी:** आवेदक को नीति के अन्तर्गत एक परियोजना स्थापित करने हेतु भारत में पंजीकृत एक विधिक इकाई होना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3.3 **“निवेश प्रस्ताव” (नि0प्र0):** निवेश प्रस्ताव का अभिप्राय है आवेदक द्वारा निवेश-मित्र पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन जिसमें आवश्यक सूचनाओं, आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) के साथ पूंजीगत व्यय, परियोजना की वित्तीय जानकारी, अनुमानित कारोबार, व्यवसाय योजना, ऋण-इक्विटी अनुपात, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार तथा उसके सहायक अभिलेख सम्मिलित हो। निवेश प्रस्ताव में आवेदक द्वारा माँगे गये राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों का भी उल्लेख होना चाहिए।
- 3.4 **स्थिर पूँजी निवेश:** का अर्थ है, निवेश की पात्र अवधि के दौरान संयंत्र और मशीनरी, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), यूटीलिटीज, औजार और उपकरणों तथा सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक ऐसी ही किसी भी अन्य परिसम्पत्ति में किया गया निवेश। डाटा सेन्टर पार्क, डाटा सेन्टर यूनिट, डाटा सेन्टर पार्क डेवलपर के स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु भवन एवं भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया जायेगा।
- 3.5 **अयोग्य पूँजी निवेश:** निम्नलिखित को स्थिर पूँजी निवेश की गणना हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा:-
- I. कार्यशील पूँजी
 - II. साख
 - III. रॉयल्टी
 - IV. प्रारम्भिक एवं संचालन-पूर्व व्यय
 - V. ब्याज का पूँजीकरण
 - VI. तकनीकी-ज्ञान शुल्क/परामर्शी-शुल्क
 - VII. कोई भी संयंत्र और मशीनरी जिसका भुगतान नकद में किया गया है।
- 3.6 **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि:** का अर्थ है वह तिथि जब प्रथम वाणिज्यिक बीजक निर्गत किया गया हो।
- 3.7 **विद्यमान इकाई का विस्तारीकरण:** का अर्थ है मौजूदा इकाई के क्षमता-वृद्धि, आधुनिकीकरण अथवा विविधीकरण के उद्देश्य से उसके संयंत्र और मशीनरी में स्थिर पूँजी निवेश के मूल्य में अभिवृद्धि। विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण हेतु नीति के अन्तर्गत कोई प्रोत्साहन नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 3.8 **वित्तीय वर्ष:** का अभिप्राय है कि वित्तीय वर्ष, कैलेण्डर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होता है तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है।
- 3.9 **नोडल संस्था:** का अर्थ है यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। नोडल संस्था का पता प्रथम तल, नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 है।
- 3.10 **प्रभावी तिथि:-** उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 की प्रभावी तिथि, नीति को अधिसूचित किये जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 28 जनवरी 2021 होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3.11 **बैधता अवधि:-** उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 की बैधता अवधि उसकी अधिसूचना की तिथि दिनांक 28 जनवरी 2021 से 5वर्ष की अवधि अर्थात 27 जनवरी, 2026 तक अथवा 30प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
- 3.12 **लेटर ऑफ कम्फर्ट:** लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) का अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवेशक की परियोजना पर स्वीकृति के उपरान्त नोडल संस्था द्वारा जारी किया गया आदेश-पत्रक। लेटर ऑफ कम्फर्ट में स्थिर पूँजी निवेश (FCI), भूमि, रोजगार तथा परियोजना के अन्य विवरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों के साथ-साथ आवश्यक नियम तथा शर्तों का उल्लेख सम्मिलित होगा।
- 3.13 **सक्षम प्राधिकारी:** सक्षम प्राधिकारी का अभिप्राय निम्नानुसार है:-
- 3.13.1 **₹ 200 करोड़ अथवा उससे कम निवेश:** ऐसे मामलों के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई सक्षम प्राधिकारी है।
- 3.13.2 **₹ 200 करोड़ से ऊपर निवेश:** ऐसे मामलों के लिए माननीय राज्य मंत्रिपरिषद सक्षम प्राधिकारी है, जिसके द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई एवं तत्पश्चात सशक्त समिति की संस्तुति के आधार पर परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- 3.14 **बैंक/वित्तीय संस्थान:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और अनुमोदित सभी अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्वीकार किया जायेगा।
- 3.15 उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञाप संख्या 12/2021 /567 /78-2-20212/254 एलसी/2021 दिनांक 27-3-2021 के अनुसार किया गया है।
- 3.16 कार्यालय ज्ञाप संख्या 11/2021 /567 /78-2-20212/254 एलसी/2021 दिनांक 27-3-2021 के अनुसार मुख्य सचिव 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया है, तथा इसमें अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं।
- 3.17 उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 में अंगीकृत नियामक मानदण्डों को राज्य विनियमों के सर्वोत्तम उद्योग मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु नीति में अंगीकृत नियामक मानदण्डों में सुझाव तथा उद्योग और तकनीकी मानकों में उभरते रुझानों को अद्यतन करने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा अग्निशमन, लोक निर्माण, आवास एवं नगर नियोजन, वन, पर्यावरण आदि के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेष कार्यबल की स्थापना हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यथासमय अधिसूचना जारी की जाएगी।
- 4 **सामान्य नियम एवं शर्तें:-** नीति के प्रस्तर 3 में निर्धारित सामान्य नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य शर्तें भी निर्धारित की जाती हैं:-
- 4.1 विद्यमान इकाइयों की विस्तारीकरण/विविधीकरण की परियोजनायें/इकाइयों इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं।
- 4.2 इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों से पृथक और उनके अतिरिक्त हैं। तथापि किसी भी इकाई को भारत सरकार और/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अथवा प्रदेश सरकार की अन्य नीतियों/ योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इकाई के स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

- 4.3 डाटा सेन्टर पार्क्स और डाटा सेन्टर इकाई(यों) का विकास एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। परन्तु यथास्थिति सम्बन्धित इकाई को 'सभी चरणों' का उल्लेख "निवेश प्रस्ताव" में अनिवार्य रूप से करना होगा। नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश किए जाने के साथ-साथ वाणिज्यिक उत्पादन भी "वैधता अवधि" के अन्दर आरम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। डाटा सेन्टर पार्क की स्थिति में न्यूनतम 40 मेगा वॉट क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन प्रथम चरण में किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4.4 नीति में परिभाषित प्रत्येक क्षेत्र (बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल, मध्यांचल तथा पश्चिमांचल) के अन्तर्गत आने वाले जनपदों की सूची (संलग्नक-1) में उल्लिखित है।

5 उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन: -

5.1 डाटा सेन्टर पार्क

5.1.1 डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन नीति के प्रस्तर 7.1 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

5.1.2 उक्त वित्तीय प्रोत्साहनों में से नीति के प्रस्तर 7.1(ब) भूमि उपादान तथा 7.1(द) (प) दो गिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति में निर्धारित प्रोत्साहन सर्वप्रथम लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त करने वाले प्रथम 3 डाटा सेन्टर पार्क्स को ही अनुमन्य होंगे।

5.1.3 **स्टाम्प ड्यूटी:-** नीति के अन्तर्गत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना/शासनादेश के अधीन भूमि के क्रय/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी, जिसके लिए निम्नवत् प्रक्रिया होगी:-

5.1.3.1 सम्बन्धित निवेशक द्वारा स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक/ उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन किया जायेगा। महाप्रबन्धक/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सत्यापन के उपरान्त जनपद का जिला मैजिस्ट्रेट अथवा जिला मैजिस्ट्रेट के अनुमोदन से महाप्रबन्धक/ उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु निष्पादित किया जा रहा है (संलग्नक-2)।

5.1.3.2 ऐसे हस्तान्तरण विलेख/ पट्टा विलेख के निबन्धन के समय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (बैंक गारण्टी) निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

5.1.3.3 निवेशक द्वारा स्टाम्प शुल्क से छूट बैंक गारण्टी वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/ नोडल संस्था द्वारा इस तथ्य की पुष्टि (संलग्नक-3) किए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया जाएगा।

5.1.4 विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित प्रोत्साहनों हेतु आवेदन की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

5.2 डाटा सेन्टर इकाइयाँ

5.2.1 डाटा सेन्टर इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन 30प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के प्रस्तर 7.2 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

5.2.2 **स्टाम्प ड्यूटी:-** नीति के अन्तर्गत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, 30प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना/शासनादेश के अधीन भूमि के क्रय/पट्टे पर प्राधिकरण/भू-स्वामी से डाटा सेन्टर इकाई को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट उपलब्ध होगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

5.2.2.1 सम्बन्धित निवेशक द्वारा स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक/ उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन किया जायेगा। महाप्रबन्धक/ उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सत्यापन के उपरान्त जनपद का जिला मैजिस्ट्रेट अथवा जिला मैजिस्ट्रेट के अनुमोदन से महाप्रबन्धक/उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु निष्पादित किया जा रहा है **(संलग्नक-2)**

5.2.2.2 ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के निबन्धन के समय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (बैंक गारण्टी) निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

5.2.2.3 निवेशक द्वारा स्टाम्प शुल्क से छूट बैंक गारण्टी वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/ नोडल संस्था द्वारा इस तथ्य की पुष्टि **(संलग्नक-3)** किए जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया जाएगा।

5.2.3 विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित प्रोत्साहनों हेतु आवेदन की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

6 उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत अनुमन्य गैर वित्तीय प्रोत्साहन

6.1 गैर वित्तीय प्रोत्साहन नीति के प्रस्तर 8 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6.2 राज्य में डाटा सेन्टर उद्योग को आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के लिए पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।
- 6.3 नीति के प्रस्तर 8.2, 8.3 तथा 8.5 (i) के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया हेतु औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन द्वारा पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा।
- 6.4 नीति के प्रस्तर 8.4 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।
- 6.5 नीति के अन्तर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त करने वाली इकाइयों को सरकारी विभागों और उनकी संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा अति प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर क्लाउड स्टोरेज के सार्वजनिक क्रय में वरीयता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।
- 6.6 नीति के प्रस्तर 8.5 (iii) तथा 8.5 (iv) में अनुमन्य प्रोत्साहनों हेतु प्रक्रिया के निर्धारण हेतु श्रम विभाग, 30प्र0 शासन द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

7 निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया -

- 7.1 इस नीति के अन्तर्गत समस्त पात्र निवेशकों द्वारा “निवेश प्रस्ताव” स्वीकृति/ अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रारूप (**संलग्नक-4**) के अनुसार राज्य के सिंगल विण्डो पोर्टल - ‘निवेश मित्र’ के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 7.2 निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें निवेशक द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकी, वित्तीय व्यवस्था इत्यादि से सम्बन्धित सूचनायें/ अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं तथा अन्य दस्तावेजों का परीक्षण नोडल संस्था द्वारा किया जाएगा। इस क्रम में नोडल संस्था द्वारा-
- 7.2.1 आवेदन की पूर्णता, प्रासंगिकता तथा सहायक-प्रलेखों का परीक्षण किया जाएगा,
- 7.2.2 आवेदन की त्रुटियों तथा विसंगतियों का परीक्षण किया जाएगा,
- 7.2.3 आवेदन में किसी भी प्रकार की विसंगति या अपूर्णता के विषय में निवेशक को सूचित किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों पर निवेशक से निवेश मित्र के माध्यम से पृच्छाओं के ऑनलाइन उत्तर प्राप्त किए जाएंगे,
- 7.2.4 उपर्युक्त परीक्षण के आधार पर नोडल संस्था द्वारा एजेण्डा नोट तैयार किया जाएगा।

8 निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति/अनुमोदन की प्रक्रिया -

- 8.1 नोडल संस्था के प्रबन्ध निदेशक द्वारा एजेण्डा नोट नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचार एवं अनुशंसा/अनुमोदन यथास्थिति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 8.2 रु 200 करोड़ से कम अथवा समतुल्य निवेश वाले प्रस्ताव नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचार एवं अनुमोदन प्रस्तुत किये जायेंगे और नीति कार्यान्वयन इकाई का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) निर्गत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यथास्थिति से अवगत कराया जाएगा।
- 8.3 रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को नीति कार्यान्वयन इकाई की अनुशंसा पर सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा ऐसे निवेश प्रस्ताव सशक्त समिति की संस्तुति के उपरान्त मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 8.4 रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों पर मा. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) निर्गत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यथास्थिति से अवगत कराया जाएगा।
- 8.5 नीति कार्यान्वयन इकाई तथा/अथवा मा. मंत्रिपरिषद, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गमन उपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) प्रासंगिक नियमों और शर्तों के साथ-साथ, स्वीकृत लाभों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।
- 8.6 लेटर ऑफ कम्फर्ट की प्रतियाँ जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन तथा अन्य हितधारकों को पृष्ठांकित की जायेंगी।
- 8.7 लेटर ऑफ कम्फर्ट में प्रदर्शित प्रोत्साहन राशि अनन्तिम होगी, जिसकी पुष्टि, दावा की गई वास्तविक राशि तथा प्राधिकारी द्वारा राशि स्वीकृति के समय किया जायेगा।
- 8.8 प्रोत्साहन के लाभ (परिमाण/अवधि) की सीमा समाप्त हो जाने अथवा नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट को स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- 8.9 यदि निवेशक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है अथवा भौतिक तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त किया गया है तो लेटर ऑफ कम्फर्ट को निरस्त माना जायेगा तथा निवेशक/ कम्पनी को प्रदान किये गये सभी हितलाभ भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल किए जाएंगे, साथ ही निवेशक/ इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
- 8.10 लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने के 6 माह के अन्दर कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए, यद्यपि असाधारण परिस्थितियों में निवेशक इकाई के अनुरोध पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है। वर्णित अवधि के पश्चात, नोडल संस्था को लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त करने का अधिकार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9 **मूल्यांकन टिप्पणी (Appraisal Note): -**

निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) अथवा इस प्रकार के बैंकों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन टिप्पणी (appraisal note) की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा उन परिस्थितियों में भी करना होगा, जब उद्यम द्वारा किसी वित्तीय संस्थान/बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।

10 प्रोत्साहन संवितरण -

- 10.1 ऐसे निवेशक, जिनको लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया गया है, वे तदनुसार विभिन्न मर्दों में अनुमन्यताओं का स्पष्ट विवरण देते हुए संवितरण हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-5) के अनुसार निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को ऑनलाइन जमा करेंगे। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कम्पनी सचिव के प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र, समझौते/ अनुबन्ध, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तथा आवेदन से सम्बन्धित अन्य सहायक प्रलेखों की हार्ड कॉपी नोडल संस्था में जमा करनी होगी।
- 10.2 वित्तीय प्रोत्साहनों का आवेदन वित्तीय वर्ष में अर्द्धवार्षिक रूप से किया जा सकता है। निवेशक द्वारा अप्रैल-सितम्बर, अक्टूबर-मार्च की अवधि हेतु आवेदन छमाही समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- 10.3 यदि इकाई अस्थायी रूप से बन्द होती है और वाणिज्यिक संचालन 6 माह से अधिक अवधि हेतु बन्द रहता है तो उस दौरान जबकि संचालन बन्द है, प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
- 10.4 प्रोत्साहन संवितरण हेतु प्राप्त आवेदनों के स्थलीय निरीक्षण, अभिलेखों के परीक्षण आदि के लिए नोडल संस्था द्वारा सूचीबद्ध संस्थाएं जिसमें सी.ए.जी. से पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स/ मान्यता प्राप्त वैल्युअर्स/ विशेषज्ञ अभियन्ता/ विशेषज्ञ संस्थान होंगे, को आबद्ध किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नोडल संस्था द्वारा यथाआवश्यकता किसी अन्य विभाग के विशेषज्ञ प्रतिनिधि को भी मूल्यांकन में सहायता हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। निवेशक द्वारा वित्तीय प्रोत्साहनों के दावे के सापेक्ष प्रस्तुत प्रलेखों/ प्रमाणपत्रों के आधार पर भवन-निर्माण तथा पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण के सापेक्ष देय/अदा किये गये ब्याज की स्थिति से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कराया जाएगा। आबद्ध संस्था/ विशेषज्ञ द्वारा आवश्यकतानुसार उद्यम के स्थलीय निरीक्षण, मशीनरी एवं संयंत्रों के भौतिक सत्यापन एवं अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त प्रमाणित करते हुए नोडल संस्था को सत्यापित आख्या प्रस्तुत की जाएगी।
- 10.5 अनुमोदन/ अस्वीकृति/ अनुशंसा के मामले में, विवरण लिखित रूप में अंकित किया जायेगा। आबद्ध संस्था/ विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट तथा बैंक रिपोर्ट के मूल्यांकन के बीच दृष्टिगत किसी अन्तर के मामले में उसका उपयुक्त औचित्य, लिखित रूप में अंकित किया जायेगा। किसी दृष्टिगत अन्तर के मामले में निवेशक को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- स्पष्टीकरण देने और अतिरिक्त अभिलेख/ सूचना, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।
- 10.6 नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु निवेशक द्वारा प्रस्तुत दावे का मूल्यांकन तथा प्रलेखों का प्रमाणीकरण मूल्यांकन एजेन्सी से कराने के उपरान्त अपने स्तर पर आश्वस्त होकर नोडल संस्था द्वारा प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए एजेण्डा नोट तैयार किया जाएगा।
- 10.7 नोडल संस्था के प्रबन्ध निदेशक द्वारा एजेण्डा नोट यथास्थिति हेतु निम्न के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- (अ) रु 200 करोड़ से कम अथवा समतुल्य निवेश वाले प्रकरण नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त समिति के अनुमोदन उपरान्त शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा अवमुक्त की जायेगी।
- (ब) रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरणों को प्रथम संवितरण हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के पश्चात सशक्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरान्त, शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा अवमुक्त की जायेगी।
- 10.8 रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरणों को सशक्त समिति की संस्तुति के पश्चात मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष केवल प्रथम संवितरण हेतु ही प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती वितरण नीति कार्यान्वयन इकाई के ही अनुमोदन के पश्चात किए जायेंगे।
- 10.9 निवेशक को समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे उसके खाते में किया जायेगा।
- 10.10 सभी अस्वीकृत आवेदनों की सूचना नोडल संस्था द्वारा, निवेशक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में दी जायेगी।
- 10.11 जानबूझकर व्यतिक्रम (Default) अथवा बैंक द्वारा परिसमापन घोषित किये जाने की स्थिति में, उसके पश्चात ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जायेगा तथा नोडल संस्था/प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।
- 11 निरस्तीकरण की प्रक्रिया -**
- निवेशक द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि निवेशक/ इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/ प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही निवेशक/ इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12 प्रशासनिक व्यय -

₹0- 200 करोड़ से कम निवेश वाली इकाईयों के मामले में स्वीकृत वित्तीय लाभों की राशि के 1 प्रतिशत तथा ₹0- 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाईयों के मामले में स्वीकृत वित्तीय लाभों की राशि के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य प्रशासनिक व्यय के रूप में नोडल संस्था यूपीएलसी को प्राप्त होगी, जिसे संवितरण की धनराशि से कटौती कर लिया जाएगा। उक्त धनराशि में नोडल संस्था द्वारा चयनित मूल्यांकनकर्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स/ मान्यता प्राप्त वैल्युअर्स/ अभियन्ताओं के माध्यम से निवेशक द्वारा किए गए पूंजी निवेश के सत्यापन में हुए व्यय की धनराशि भी सम्मिलित है।

13 विविध -

- 13.1 इस नीति के अन्तर्गत बजट प्राविधानों के लिए लेखा शीर्ष वित्त विभाग द्वारा आवंटित किया जाएगा। इस सन्दर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग नियंत्रण एवं प्राक्कलन हेतु अधिकृत (Controlling and Estimates Authority) होगा तथा बजट अनुमानों/ पुनरीक्षित अनुमानों तथा अनुपूरक मांगों को प्रासंगिक लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत करेगा।
- 13.2 बजटीय प्राविधान से धनराशि अवमुक्त करने की व्यवस्था का निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।
- 13.3 नीति के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। नीति के कार्यान्वयन तथा धनराशि जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा की जाएगी।
- 13.4 नीति की व्यवस्था पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने की दशा में नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ऐसा स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
- 13.5 इसके अतिरिक्त समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन सशक्त समिति की संस्तुति के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।
- 13.6 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।
- 13.7 वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण के सम्बन्ध में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-22/2021/1274(1)/78-2-2021 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
5. कार्यकारी निदेशक, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, 30प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- यूपीएलसी :डाटा सेन्टर :2021-22/550 दिनांक 30-06-2021 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13-08-2021 के क्रम में।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपदों की क्षेत्रवार सूची

पूर्वांचल	बुन्देलखण्ड	पश्चिमांचल
अयोध्या मण्डल 1. अयोध्या 2. अम्बेडकरनगर 3. बाराबंकी 4. सुल्तानपुर 5. अमेठी गोरखपुर मण्डल 6. गोरखपुर 7. देवरिया 8. महाराजगंज 9. कुशीनगर प्रयागराज मण्डल	झांसी मण्डल 1. झांसी 2. जालौन 3. ललितपुर चित्रकूट 4. बांदा 5. चित्रकूट 6. हमीरपुर 7. महोबा	आगरा मण्डल 1. आगरा 2. फिरोजाबाद 3. मैनपुरी 4. मथुरा अलीगढ़ मण्डल 5. अलीगढ़ 6. हाथरस 7. कासगंज 8. एटा मुरादाबाद मण्डल 9. मुरादाबाद
	मध्योंचल	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10. प्रयागराज 11. कौशाम्बी 12. फतेहपुर 13. प्रतापगढ़ वाराणसी मण्डल 14. वाराणसी 15. चन्दौली 16. जौनपुर 17. गाजीपुर मिर्जापुर मण्डल 18. मिर्जापुर 19. संतरविदास नगर 20. सोनभद्र आजमगढ़ मण्डल 21. आजमगढ़ 22. बलिया 23. मऊ देवीपाटन मण्डल 24. गोण्डा 25. बहराइच 26. बलरामपुर 27. श्रावस्ती बस्ती मण्डल 28. बस्ती 29. संतकबीरनगर 30. सिद्धार्थनगर	कानपुर मण्डल 1. कानपुर नगर 2. कानपुर देहात 3. इटावा 4. औरैया 5. फर्रुखाबाद 6. कन्नौज लखनऊ मण्डल 7. लखनऊ 8. हरदोई 9. लखीमपुर खीरी 10. रायबरेली 11. सीतापुर 12. उन्नाव	10. बिजनौर 11. सम्भल 12. रामपुर 13. अमरोहा मेरठ मण्डल 14. मेरठ 15. बुलन्दशहर 16. हापुड़ 17. बागपत 18. गौतमबुद्ध नगर 19. गाजियाबाद सहारनपुर मण्डल 20. मुज़फ्फरनगर 21. शामली 22. सहारनपुर बरेली मण्डल 23. बरेली 24. बदायूँ 25. पीलीभीत 26. शाहजहाँपुर
---	---	--

संलग्नक-2

(शासनादेश का प्रस्तर-5.1.3.1 तथा 5.2.2.1)

“उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2021” के अन्तर्गत डाटा सेन्टर पार्क/इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु दिये गये आवेदन-पत्र पर प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र

1- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का नाम

2- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का पता

.....
.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉरपोरेशन/लिमिटेड कम्पनी/को-आपरेटिव सोसायटी/स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग)

.....

4- पैन नम्बर

5- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का स्वामी/प्रवर्तक/साझेदारों/निदेशकों के नाम पता एवं सम्पर्क विवरण (निवास के प्रमाण सहित)

नाम

पता

आधार संख्या

दूरभाष संख्या

फैक्स संख्या

मोबाईल संख्या

ई-मेल

वेबसाइट

6- उद्यम पंजीकरण का विवरण – संख्या

दिनांक

(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)

7- डाटा सेन्टर क्षमता (मेगावाट में)

.....

8- भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन

.....

9- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि

.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10- केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था का नाम जहाँ से भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त की गयी है।

.....

11- वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया हो/जा रहा हो।

.....

12- वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि व दिनांक

.....
(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

13- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने योग्य ट्रॉजेक्शन संख्या एवं प्रतिशत

.....

14- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली धनराशि

15- यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था/निजी स्रोत से भी भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त किया गया है तो उसका सम्पूर्ण विवरण

(साक्ष्य के रूप में संस्था द्वारा जारी प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

.....

.....

16- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमि का विवरण

क्र.सं.	भूमि का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में एवं दर	भूमि का कुल मूल्य
1			
2			
3			
	कुल योग		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रमाणित किया जाता है कि डाटा सेन्टर पार्क/इकाई द्वारा दिये गये संलग्न अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन हेतु वाणिज्यिक उत्पादन पॉलिसी की वैधता अवधि में करने का आश्वासन दिया गया है और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा करायें जाने की बाध्यता का भी उल्लेख किया गया है।

डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रू0 ..
..... की छूट दिये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :

संलग्नक-3

(शासनादेश का प्रस्तर-5.1.3.3 तथा 5.2.2.3)

“उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2021” के अन्तर्गत डाटा सेन्टर पार्क/इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु रखी गयी बैंक गारण्टी को अवमुक्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन/नोडल संस्था द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का नाम

2- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का पता

.....
.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- प्राप्त किये गये भूमि के क्रय/लीज का प्रयोजन

.....

4- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि

5- जमा किये गये बैंक गारण्टी का विवरण तिथि सहित

6- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण

7- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि का विवरण

क्र.सं.	भूमि का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि का कुल क्षेत्रफल जो निहित उद्देश्य से आच्छादित है।
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि डाटा सेन्टर पार्क/इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक को प्रारंभ कर दिया गया है। उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी को इकाई को वापस किये जाने की संस्तुति की जाती है।

डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रू0 की छूट हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी वापस किये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक: सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन/
नोडल संस्था

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्थान:

1. उप निबंधक, निबंधन
2. महा निरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सलग्नक-4

(संदर्भ: शासनादेश का प्रस्तर 7.1)

कम्पनी के लेटर हेड पर

तिथि : / / 20....

अपर मुख्य सचिव

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय: उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2021 के अन्तर्गत परियोजना अनुमोदन हेतु आवेदन

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

महोदय,

यह डाटा सेन्टर पार्क/इकाई (क्षमता:मेगावाट) की स्थापना के प्रयोजन से
..... उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हमारे निवेश प्रस्ताव के सन्दर्भ में है।

हम एतद्वारा उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2021 के अन्तर्गत परियोजना के अनुमोदनार्थ अपना अनुरोध प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमें दिनांक से तक रु करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

नीति के तहत हम पात्र प्रोत्साहनों के अनुमोदन और संवितरण के लिए शासकीय सहायता की प्रत्याशा करते हैं। परियोजना की प्रमुख विशेषतायें निम्नानुसार हैं:—

- I. परियोजना का स्थान :
- II. प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में)
- III. निवेश रुकरोड़ (कुल)
 - प्रथम चरण – रुकरोड़ –सेतक
 - द्वितीय चरण – रुकरोड़ –सेतक (यदि लागू हो)
 - तृतीय चरण – रुकरोड़ –सेतक (यदि लागू हो)
(आवश्यकतानुसार, अन्य चरण जोड़ें)
- IV. रोजगार सृजन: कुल (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष.....)
- V. भूमि आवश्यकताएकड़ (कुल)
 - प्रथम चरण –एकड़
 - द्वितीय चरण –एकड़ (यदि लागू हो)
 - तृतीय चरण –एकड़ (यदि लागू हो)
- VI. मांगे गये वित्तीय प्रोत्साहन : रुकरोड़
- VII. विद्युत आवश्यकता (आईटी लोड):
- VIII. जल आवश्यकता :
- IX. कोई अन्य आवश्यकता:

हम संक्षेप में निम्नवत् प्रदर्शित प्रोत्साहनों हेतु राज्य सरकार से सहायता का अनुरोध करते हैं:—

क्रम स0	उपादान	पात्साहन का विवरण	धनराशि (रु कराड)
1	पूँजी उपादान		
2	स्टाम्प ड्यूटी		
3	ब्याज उपादान		

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	विद्युत शुल्क से छूट		
5	भूमि उपादान		
6	कोई अन्य उपादान		
			योग

हम पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त प्रदर्शित सूचना हमारी जानकारी के अनुसार सही है तथा किसी विचलन की स्थिति में हम उसे तत्काल सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संज्ञान में लायेंगे।

हम पुष्टि करते हैं कि हम उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों से बाध्य होंगे तथा उनका अनुपालन करेंगे।

हम समझते हैं कि उपरोक्त मांगे गये प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं और इसके सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

धन्यवाद,

.....
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :.....

कम्पनी की मुहर

संलग्नक: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित आरम्भिक निवेश प्रस्ताव

संलग्नक-4

(संदर्भ: शासनादेश का प्रस्तर 7.1)

On Company's Letter Head

Date: .../.../ 20.....

Additional Chief Secretary

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

IT & Electronics Department
Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow

Subject: Application for project approval under UP Data Center Policy 2021

Dear Sir,

This is in reference to our investment proposed at Uttar Pradesh for the purpose of setting up of Data Center Park/Unit of (Capacity in MW.....).

We would like to submit herein our request for approval under Uttar Pradesh Data Center Policy 2021 for investment value worth INRCrore to be invested from....DDMMYYY toDDMMYYY.....

We are looking forward to government support for approval and disbursement of eligible incentives under the policy. The highlights of the project are as follows:

- X. Location of the project:
- XI. Proposed capacity (in MW)
- XII. Investment: **INR ... Cr (Total)**
- **Phase 1** – INR ...Cr, **Year** – From..... to.....
 - **Phase 2** – INRCr, **Year** – From..... to.....(If applicable)
 - **Phase 3** – INRCr, **Year** – From..... to.....(If applicable)
- (Add more phases, if required)*
- XIII. Employment Generation: Total -, (Direct Indirect.....)
- XIV. Land requirement: **Acres (Total)**
- **Phase 1**Acres
 - **Phase 2** Acres (If applicable)
 - **Phase 3** Acres(If applicable)
- XV. Fiscal Incentives Sought: INR Cr.....
- XVI. Power Requirement (**IT Load**) :
- XVII. Water Requirements:
- XVIII. Any other Requirements

We request the state Govt. support for the following incentives summarized below:

S.No.	Subsidy	Details of Incentive	INR (Crores)
1.	Capital Subsidy		
2.	Stamp duty		
3.	Interest Subsidy		

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4.	Electricity Duty Exemption		
5.	Land Rebate		
6.	Any other subsidy		
			Total

We confirm that the above information furnished is correct to the best of our knowledge and in case of any deviation we'll bring it to the notice of the IT & Electronics Department, GoUP immediately.

We confirm that we shall be binding with the Government Orders released under the UP-Data Centre Policy 2021 from time to time and shall abide by it.

We understand that the above incentives sought are subject to the approval of the State Government and decisions in this regard shall be final and binding.

Thanking you,

.....
 Authorized Signatory Name:
 Company Seal:

Enclosed: Initial Investment Proposal Form alongwith Detailed Project Report

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

निवेश प्रस्ताव प्रपत्र
(संलग्नक-4 का अनुलग्नक)

क्रम सं०	विवरण	वाँछित विवरण			
कम्पनी प्रोफाइल					
1.	कम्पनी का नाम				
2.	मूल देश				
3.	कम्पनी की संक्षिप्त प्रोफाइल				
4.	निगमन की तिथि				
5.	अंशधारिता का स्वरूप				
6.	निदेशकों के नाम				
7.	कार्यकारी प्रबन्धन का विवरण				
8.	भारत में डाटा सेन्टर पार्क्स / इकाइयों				
9.	उत्तर प्रदेश में डाटा सेन्टर पार्क्स / इकाइयों, यदि हों				
10.	तकनीकी साझेदार				
वित्तीय स्थिति					
11.	पिछले पाँच वर्षों में टर्नओवर				
12.	पिछले पाँच वर्षों में शुद्ध लाभ				
परियोजना विवरण					
13.	परियोजना के बारे में संक्षिप्त विवरण				
14.	परियोजना की क्षमता (मेगावाट में)				
15.	निवेश मूल्य (रु करोड़)				
16.	परियोजना का स्थान एवं पता				
17.	वित्तपोषण के माध्यम	प्रकार	धनराशि (रु करोड़)		
		प्रवर्तकों / साझेदारों / अंशधारकों से ईक्विटी			
		सावधि ऋण			
		किराया क्य			
		लीजिंग			
		सार्वजनिक निर्गम			
		प्रेफरेंशियल निर्गम			
		अन्य			
		कुल			
18.	सम्भावित रोजगार सृजन	प्रकार	पुरुष	महिला	कुल
		प्रत्यक्ष			
		अप्रत्यक्ष			
		कुल			
19.	परियोजना कितने चरणों में प्रस्तावित है (कृपया निवेश धनराशि का चरण-वार विवरण, रु करोड़ में प्रदान करें)				
20.	परिचालन प्रारम्भ की अनुमानित तिथि				
21.	अनुमानित टर्नओवर (प्रथम 10 वर्षों में)				
उत्तर प्रदेश सरकार से माँग					
22.	उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2021 के अन्तर्गत माँगें गये वित्तीय प्रोत्साहन				

23.	उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2021 के अन्तर्गत माँगे गये गैर वित्तीय प्रोत्साहन	
24.	कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता (जल, विद्युत – क्रिटिकल आईटी और गैर आईटी आदि)	
25.	वाँछित भूमि (यदि हॉ, कृपया क्षेत्रफल, प्राधिकरण और लागत सहित भूमि का विवरण प्रदान करें) – चरणवार	
26.	कोई अन्य अपेक्षित सहायता	
वाँछित सहायक दस्तावेज		
27.	<p>(क) उद्यम के मेमोरेण्डम की प्रति (भाग 1 व 2)</p> <p>(ख) यदि साझेदारी उद्यम है तो साझेदारी विलेख की प्रति, यदि लिमिटेड कम्पनी है तो मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति – प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित</p> <p>(ग) यदि उद्यम अपनी भूमि पर कार्यरत है तो भूमि की कय विलेख – आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित</p> <p>(घ) यदि उद्यम किराये की भूमि/भवन में कार्यरत है तो वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए निष्पादित लीज अनुबन्ध की प्रति</p> <p>(च) बैंक/संस्थागत वित्त पोषित उद्यम की दशा में बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र की प्रति</p> <p>अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित)</p> <ul style="list-style-type: none"> • निगमन प्रमाण-पत्र • कम्पनी के वित्तीय अभिलेख (ऑडिट रिपोर्ट, बैलेन्स शीट इत्यादि,) (यदि लागू हों तो) • भारतीय रिजर्व बैंक से एफ.डी.आई. पावती की प्रति (यदि लागू हों तो) <p>विस्तृत परियोजना रिपोर्ट</p>	

प्राधिकृत निदेशक के हस्ताक्षर

नाम :

कॉन्टैक्ट नॉ0

ई-मेल:

कम्पनी का पता

INVESTMENT PROPOSAL FORM

(Enclosure of संलग्नक-4)

S. No.	Particulars	Details Required			
Company Profile					
1.	Company Name				
2.	Origin Country				
3.	Brief profile of the company				
4.	Date of Incorporation				
5.	Shareholding pattern				
6.	Name of Directors				
7.	Details of Executive Management				
8.	Number of DC Parks/Units in India, if any				
9.	Details of DC Parks/ units in Uttar Pradesh, if any				
10.	Technology Partner				
Financial Status					
11.	Turnover for last 5 years				
12.	Net Profit for last 5 years				
Project Brief					
13.	Brief about Project				
14.	Project Capacity (in MW)				
15.	Investment Value (INR Crore)				
16.	Project Location & Address				
17.	Means of Financing	Type	Amount (in INR)		
		Equity from Promoters/Partners/Shareholders			
		Term loan			
		Hire purchase			
		Leasing			
		Public issue			
		Preferential issue			
		Others			
		Total			
18.	Employment Likely to be Created	Type	Men	Women	Total
		Direct			
		Indirect			
		Total			
19.	Number of phases <i>(please provide phase wise breakup of investment value in INR Crores)</i>				
20.	Estimated Operation Start Date				
21.	Expected Turnover (for First 10 Years)				
Demand from government of UP					

22.	Financial incentives sought under Data Center Policy 2021	
23.	Non-financial incentives sought under Data Center Policy 2021	
24.	Core infra requirement (Water, power - critical IT and non-IT load etc.)	
25.	Land Required (If Yes, please provide land details including area, authority, and cost) - Phasewise	
26.	Any other assistance required	
Supporting Documents Required		
27.	<p>(a) Copy of Entrepreneur Memorandum (PartI) and (PartII).</p> <p>(b) Copy of Partnership Deed, If Partnership Concern; in case Limited Company copy of Memorandum and Articles of Association duly signed by the Managing Director.</p> <p>(c) If the Enterprise is functioning in its own land, copy of land purchase deed duly signed by the applicant.</p> <p>(d) If the Enterprise is functioning in a leased land/ building, copy of lease agreement deed executed for a minimum period of 10 years from the date of commencement of commercial operation.</p> <p>(e) Copy of Loan Sanction letter from the Bank / Financial Institution in respect Bank / Institutional financed Enterprises.</p> <p>Additional Documents Required (Attested by Authorized Signatory):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificate of Incorporation ▪ Financials of the company (Audit report, balance sheet etc.) (if applicable) ▪ FDI Acknowledgment from RBI (If applicable) ▪ Detailed Project Report 	

Signature of Authorized Director

Name :

Contact No. :

Email Id :

Company Address:

DETAILED PROJECT REPORT

(Ref: SI No 27 of Initial Investment Proposal Form)

<<Date>>

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Table of Contents

Page Nos

General Instructions

1. Background and Project Rationale
2. Investment Outlay
 - 2.1 Cost of Project and Means of Financing
 - 2.2 Bill of Materials/Capex Details including MEP
3. Project Execution Strategy
4. Technology/ Technology Partner details
5. Project Financials
6. Implementation Details
7. Risk Impact Analysis
8. Business Case
9. Infrastructure Details

General Instructions

1. A power of attorney from the Board of Directors in favour of the signing authority (who signs all documents related to the demonstration of commitment, including this DPR) shall be furnished.
2. All financials presented in this DPR should be quoted in INR.
3. All pages of the DPR should be signed and stamped by the authorized signatory.
4. The Nodal Agency reserves all rights to check the veracity of the supporting documents. This includes the right to call for original documents at any point in the appraisal process.
5. The Nodal Agency also reserves the right to ask for clarifications and/or additional documents/information providing of which within the specified timelines would be binding on the applicants.
6. All data points used in the DPR should be supported by reliable sources (cited in footnotes on same page) and copies of the relevant source page be appended to the document.
7. All assumptions used in the documents should be supported by detailed justification and source of data as applicable.

1. Background and Project Rationale

Suggested Length: 5000 words

- 1) Provide details of the project, including:
 - (a) High level capital outlay
 - (b) Market segment proposed to be addressed
- 2) Write up on how the proposed project will enhance the Data Centre ecosystem in U.P. and the IT sector at large.
- 3) Stake holder Analysis (including partners, investors, GoUP, customers, suppliers and affected population).

2. Investment Outlay

Suggested Length: 3000 words

2.1 Cost of Project and Means of Financing

- 1) Capital Outlay, Proposed Means of Financing and Capital Phasing
- 2) Assumptions for Financial Modelling (with summary justification and basis)
- 3) Details of equity ready injected in the project (Supporting document to be provided in the form of auditor's certificate and/or RoC filing) including breakup by source
- 4) Details of Debt structure proposed (Supporting documents in the form of In-principle approval letters from lenders) including breakup by source

2.2 Bill of Materials/ Capex Details including Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP)

Details of Capex should be provided (with justification) under Plant, machinery and equipment including MEP details.

For the purposes of BoM/ Capex details, equipment/item wise costing should be provided.

3. Project Execution Strategy

Suggested Length: 4000 words

- 1) Institutional Framework (including details of vendors/ contractors/ partners identified for major activities) for project design, development and construction
- 2) Infrastructure details and strategy for securing/ implementing the same:
 - a) Land
 - b) Power
 - c) Water
 - d) Sewage disposal
 - e) Effluent Treatment Plant
- 3) Procurement and contracting strategy and framework
- 4) Project management framework and philosophy
- 5) Cost & Time overrun contingency measures and strategy

4. Technology/ Technology Partner Details

Suggested Length: 5000 words

- 1) Details of IP Ownership: List of Intellectual Property proposed to be transferred to the project (from each technology partner) and documentary evidence of current ownership of the same.
- 2) Details of Technology Provider/s (SPV/Joint Venture/Collaboration/any other arrangement along with MoU and other supporting documents)
- 3) IP Status of Technology Being Proposed
- 4) Valuation of Technology and IP (Along with Valuation Reports)
- 5) Technology Transfer Agreement (Final, non-conditional agreement, including performance guarantee clauses as deemed appropriate)
 - a) IP transfer
 - b) Knowledge Transfer mechanism (detailed note)
 - c) Capacity development mechanism
 - d) Details of process and product technology proposed (with detailed notes on each)
- 6) Sources of Product Design proposed
- 7) R&D Plan and Details (with note on IP proposed to be generated)
- 8) Detailed Technology Transfer Plan (Supported by technology transfer agreement as above), including personnel exchange/deputation, facilities and equipment sharing etc.

Technological Details should be supported by documents where necessary (Example: Documentary evidence of IP ownership, Technology Transfer Completeness, documentary evidence of similar transactions in the past etc.). A provision to assess the technology providers' facilities via site visits may also be incorporated.

5. Project Financials

Suggested Length: 4000 words

- 1) Financial Structuring
 - a) Debt Equity Ratio (including details of various sources of equity, sources of debt and other funds and sequencing of the same)
 - b) Incentives proposed to be availed/requested
 - c) Loan schedule and DSCR analysis
- 2) Loan Ageing
- 3) Financial Indicators (NPV, EIRR, PIRR, DSCR, PAT, PBT, Breakeven period by Cash and EBITDA)
- 4) Financial Structuring
- 5) Major Investments and Fund Raisings Planned (With supporting documents for funds required to be shown for demonstration of commitment)
- 6) Project Cash flow analysis
- 7) Taxation schedule (in line with applicable laws and standards)

The applicants are required to include a soft copy (editable excel file) of the financial model along with the DPR and an undertaking that the same is correct and in line with accounting standards, company law and taxation laws in

6. Implementation Details

Suggested Length: 3000 words

- 1) Project Phasing (Quarterly activity plan supported by detailed Gantt Charts) including major milestones
- 2) Project O&M Planning (including growth capex plans and assumptions)
- 3) Key Activities by quarter
- 4) Organization Structure proposed (with details of management team and role of partners) upto three levels (starting with CEO). Also append the profiles of the personnel proposed as well as the roles and responsibilities of each.
- 5) Procurement Details (including phasing, timing and sequencing, apart from overall procurement strategy)
- 6) Services and Service Levels proposed with implementation partners and contractors/vendors
- 7) Outsourcing and Contractor details and scope of work envisaged
- 8) Details of permissions, clearances and fulfilment of other statutory requirements for the projects, accompanied by a detailed note on plans for fulfilment of each

7. Risk Impact Analysis

Suggested Length: 2000 words

- 1) Project Financial Viability and Going Concern viability analysis and details
- 2) Business Sustainability Plan
- 3) Risk Analysis (financial and business), along with financial impact estimation for top 10 risk factors (upside and downside)
- 4) Risk Mitigation Plan including costs associated with the individual plans

- 5) Detailed estimation of risk due to cost or time overruns and mitigation plans for the same
- 6) Technology obsolescence risk assessment and mitigation plan

8. Business Case

Suggested Length: 3000 words

- 1) Operational Plan (with justification)
- 2) Marketing Plan (Tie ups and Strategies)
- 3) Service Strategy (technology and demand analysis)
- 4) Market Feasibility Analysis (especially Strategic Sectors), including marketing mix proposed (split by domestic and export) and assessment of India market (government and private procurement)
- 5) Analysis with respect to strategic sector requirement
- 6) Project Benefits Assessment:
 - a) Social Benefits (Appropriate Calculations including employment direct and indirect, GDP Multiplier etc.)
 - b) Cost Benefit Assessment

9. Infrastructure Details

Suggested Length: 2000 words

- 1) Analysis including availability, requirement, gap analysis and mitigation plan for the following:
 - a) Water Supply
 - b) Power Supply
 - c) Sewerage
 - d) Solid Waste Management
 - e) Effluent Treatment Plant
 - f) Fire Safety Management, specially precautions against leakage of noxious gases
 - g) Drainage systems
 - h) Roads/Urban Transportation
 - i) Social Infrastructure
 - j) Logistics (Warehouse etc.)

उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण-पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय: उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 के अन्तर्गत प्रोत्साहन संवितरण की माँग

महोदय,

उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन-पत्र {अनुलग्नक-क (पूँजी उपादान हेतु) / अनुलग्नक-ख (ब्याज उपादान हेतु)} संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 में वर्णित प्रोत्साहन संवितरण किये जाने की माँग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे संलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन-पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपर्युक्त सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सही हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की माँग न तो की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपका विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थान

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के

तिथि

हस्ताक्षर एवं मुहर

**Covering Letter for demand of incentives as per UP Data Centre Policy-2021
(On Company's Letter Head)**

To,
Additional Chief Secretary
IT & Electronics Department
Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow

Subject:- Demand of Disbursement of incentives as per UP Data Centre Policy-2021

Sir,

We undersigned, hereby submit our application for disbursement of **Capital Subsidy (अनुलग्नक-क)** and **Interest Subsidy (अनुलग्नक-ख)** as per provisions of UP Data Centre Policy-2021 and as per their Government orders.

We confirm that all the information provided in the application form alongwith the annexures, financial documents, declaration, certification, exhibits or any other information provided are correct, true and complete in all respect. To confirm to the department that the provided informations do not create any confusion in any manner, accordingly we have included all the informations in the said application.

We hereby confirm that the above information alongwith annexures provided are correct and true to the best of our knowledge. We are also committed that the applicant have neither demanded any subsidy nor received any fund in any other scheme/policy of the State Government. We once again committed to certify all the submitted details alongwith their documentary proof as per their requirement.

We hereby agree that you have full right to cancel our application without assigning any reason thereof.

We hereby confirm that we, on behalf of our Corporation/Company/Firm/Organization, are authorized to perform all the activities and to sign all the documents, which are necessary to sign in this regard.

Place:
Date:

Owner/Partner/MD/Director
Signature and Stamp

पूजी उपादान के संवितरण हेतु आवदेन-पत्र

(क)	इकाई का विवरण				
a.)	नाम				
b.)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझीदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम				
c.)	इकाई का पता				
d.)	दूरभाष नं०				
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं०				
f.)	फैक्स नं०				
g.)	ई-मेल				
h.)	वेबसाइट				
i.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या				
j.)	जी.एस.टी. पंजीयन सं०				
k.)	परमानेंट एकाउण्ट सं० (PAN)				
l.)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली	<input type="checkbox"/>	साझेदारी	<input type="checkbox"/>
		प्राइवेट लिमिटेड	<input type="checkbox"/>	सहकारी	<input type="checkbox"/>
		सार्वजनिक	<input type="checkbox"/>	समिति	<input type="checkbox"/>
m.)	व्यवसाय / परिचालन आरम्भ की तिथि				
n.)	सृजित रोजगार				
	Direct <input type="checkbox"/>				

	Indirect <input type="checkbox"/>		
(ख)	स्थिर पूँजी निवेश		
	(1) प्लाण्ट एवं मशीनरी		
	(2) Mechanical Electrical Plumbing		
	(3) अन्य स्थिर परिसम्पत्तियाँ		
	योग		
	दावा की गई पूँजी उपादान धनराशि		
(ग)	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज		
a.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1 प्रारूप पर) सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
b.)	वर्ष के दौरान दाखिल वाणिज्य-कर विवरणी की प्रति	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
c.)	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
d.)	PAN CARD की प्रति	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
e.)	विद्यमान क्षमता हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड/सांविधिक सम्परीक्षक का प्रमाण-पत्र	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
f.)	नीति घोषित किये जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि तक प्लाण्ट और मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका मदवार विवरण व उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख/ प्रमाण-पत्र	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>

g.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित, आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2021 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/ छूट का, अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि
h.)	आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (बैंक का नाम, खाता नं. तथा आई.एफ.एस.सी. कोड)			
i.)	आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ-पत्र (मूल रूप में परिशिष्ट-3 प्रारूप पर)			

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

Application Form for disbursement of Capital Subsidy

(क)	Company Profile			
o.)	Name			
p.)	MD/Managing Partner/Owner/CEO's Name			
q.)	Address of Unit			
r.)	Phone No.			
s.)	Mobile No. of Concerned Person			
t.)	Fax No.			
u.)	E-mail			
v.)	Website			
w.)	Registration Certificate No.			
x.)	GST Registration No.			
y.)	Permanent Account No (PAN)			
z.)	Constitution of Organization	Ownership <input type="checkbox"/>	Partnership <input type="checkbox"/>	
		Pvt. Ltd. <input type="checkbox"/>	Corporate <input type="checkbox"/>	
		Public <input type="checkbox"/>	Society <input type="checkbox"/>	
aa.)	Date of Commencement of Commercial Operations/ Business			
bb.)	Employment			
	Direct <input type="checkbox"/>			
	Indirect <input type="checkbox"/>			

(ख)	Fixed Capital Investment (FCI)			
	(1) Plant and Machinery			
	(2) Mechanical Electrical Plumbing			
	(3) Any other fixed Assests			
	Total			
	Amount of Capital Subsidy Claimed			
(ग)	Annexed Documents alongwith Application form			
j.)	Certificate issued by CA alongwith copy of first sales invoice (on परिशिष्ट-1 format)	Yes	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
k.)	GST/State Tax deposited during the Year	Yes	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
l.)	Copy of GST Registration Certificate	Yes	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
m.)	Copy of PAN CARD	Yes	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
n.)	Certificate issue by CA/Statutory Auditor to confirm existing capacity	Yes	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
o.)	After announcement of the policy till the submission of application, head-wise details of the investment on installation of Plant and Machinery and their supporting documents/certificates.	Yes	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
p.)	Current details of disbursement/reimbursement of the incentives as per UP Data Centre Policy-2021 policy duly certified by the Chartered Accountant	Nature of Incentives/Concession	Date	Amount (Rs)

q.)	Bank details of Applicant in which after the approval, subsidy amount will be transferred (Bank's Name, Account no. & IFSC Code)			
r.)	Affidavit of the Owner / Partner / Managing Director / Director of the applicant unit (in original on परिशिष्ट-3 format)			

Place:

Date:

Owner/Partner/MD/Director
Signature and Stamp

पूँजी उपादान की प्राप्ति हेतु
संयन्त्र एवं मशीनों पर निवेश के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर)

संख्या:

दिनांक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतद्द्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री के
पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों के अनुसार, पूँजी
उपादान प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के दिनांक को, भवन एवं भूमि को
छोड़कर कुल स्थिर पूँजी निवेश रु (रुपये) है।

सर्वश्री द्वारा किये गये स्थिर निवेश का विवरण
Appendix "A" पर तथा प्लान्ट और मशीनरी की सूची Appendix "B" पर संलग्न हैं।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर एवं मुहर

(Ref: अनुलग्नक-क Sl. No. ग (a))

Certificate issued by Chartered Accountant to get Capital Subsidy on the investment on Plant and Machinery
(On the Letter Head of Chartered Accountant)

No.:

Date:

(To whom-so-ever it may be concern)

This is certify that, as per account books/ documents presented in the registered office.....(address) of M/s(Name), the Capital Subsidy amount claimed as per submitted application dated, the Fixed Capital Investment (FCI) except land and building cost is Rs..... (in words).

The details of Fixed Capital Investment (FCI) of M/s is annexed at Appendix -'A' and the list of Plant and Machinery at Appendix -'B'.

Place:

Date:

Signature and Stamp

Appendix "A"

(सन्दर्भ: परिशिष्ट-1)

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ने अपनी नवीन परियोजना के लिए निम्नलिखित स्थिर पूँजी निवेश किया है और वाणिज्यिक उत्पादन दिनोंकको प्रारम्भ कर दिया है।

परिसम्पत्तियों की प्रकृति	नवीन इकाई
1 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग*	
2 संयंत्र एवं मशीनरी*	
3 अन्य	
योग	

* इस प्रमाण-पत्र के Appendix "B" के अनुसार विवरण पृथक से संलग्न किया जाये।

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने उक्त इकाई के सम्बन्ध में निर्धारित रजिस्ट्रों, लेखा पुस्तकों तथा बैंक विवरणों की जाँच कर ली है।

मैं/हम पूरी तरह से समझते हैं कि इस प्रमाण पत्र में किया गया कोई कथन यदि गलत अथवा असत्य सिद्ध होता है, तो मैं/हम किसी भी दण्डात्मक कार्यवाही या अन्य परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसाकि विधि-सम्मत अथवा अन्यथा आवश्यक हो।

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

नाम.

सदस्यता संख्या

पूरा पता.....

जहाँ पर पंजीकृत है, उस संस्था का नाम एवं पता

.....

तिथि:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर

Appendix "A"

(सन्दर्भ: परिशिष्ट-1)

CHARTERED ACCOUNTANT CERTIFICATE

This to certify that M/s.have made the following fixed capital investment for their new Project and the commercial production has been commenced on (date)

Nature of Assets	New Unit
1. Mechanical, Electrical, Plumbing (MEP)*	
2. Plant & Machinery*	
3. Others	
Total	

* Details to be enclosed separately as per **Appendix "B"** to this certificate.

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed registers, books of account and the bank statement in respect of the above unit.

I/We fully understand that any submission made in this certificate if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in the law or otherwise warranted.

Signature & Stamp/seal of the Signatory_____

Name_____

MembershipNo._____

Full address_____

Name and address of the Institution
where registered.

Date:

Place:

Signature of Applicant

Signature of Chartered Accountant

Appendix "B"

(सन्दर्भ: परिशिष्ट-1)

व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि के अनुसार इन्स्टालेशन विवरण सहित
संयंत्र और मशीनरी की सूची

क्र० सं०	मशीनरी का नाम और मशीन का क्रमांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या एवं तिथि	कर सहित, कुल लागत	परिवहन, निर्माण इत्यादि (5 व 6)	निर्मित की गई मशीनरी की कुल लागत	भुगतान का माध्यम मुहर सहित रसीद संख्या एवं तिथि	मशीनरी के निर्माण कार्यारम्भ की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आवेदक के हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर

-
- 3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Appendix "B"

(सन्दर्भ: परिशिष्ट-1)

LIST OF PLANT AND MACHINERY INCLUDING INSTALLATIONS DETAILS AS ON THE DATE OF COMMENCEMENT OF COMMERCIAL PRODUCTION

Sl. No	Name of the machinery and machine No.	supplier's name	Bill No. & Date	Total cost inclusive of tax	Transport erection etc. (5 & 6)	Total cost of machinery as erected	mode of payment stamped receipt No. & etc.	Date of erection commission of the machinery
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of Applicant

Signature of Chartered Accountant

-
- 3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

ब्याज उपादान के संवितरण हेतु आवदेन-पत्र

(क)	डाटा सेन्टर पार्क का विवरण				
a.)	नाम				
b.)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझेदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम				
c.)	इकाई का पता				
d.)	दूरभाष नं०				
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं०				
f.)	फैक्स नं०				
g.)	ई-मेल				
h.)	वेबसाइट				
i.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या				
j.)	जी.एस.टी. पंजीयन सं०				
k.)	परमानेंट एकाउण्ट सं० (PAN)				
l.)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली	<input type="checkbox"/>	साझेदारी	<input type="checkbox"/>
		प्राइवेट लिमिटेड	<input type="checkbox"/>	सहकारी	<input type="checkbox"/>
		सार्वजनिक	<input type="checkbox"/>	समिति	<input type="checkbox"/>
m.)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि				
(ख)	इकाई द्वारा प्राप्त किये गये ऋण का विवरण				
a.)	बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, पता व दूरभाष सं. ई-मेल				

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

b.)	ऋण की धनराशि							
c.)	ऋण वितरण की तिथि							
d.)	ऋण की प्रकृति		सावधि ऋण	कार्यशील पूँजी ऋण				
e.)	ब्याज की प्रकृति		स्थिर (Fixed)	अस्थिर (Floating)				
f.)	ऋण पर देय ब्याज, एवँ पूर्व वर्षों में प्राप्त ब्याज उपादान का विवरण							
	वर्ष	वित्तीय वर्ष	देय ब्याज (%)	कुल देय ब्याज धनराशि (रूपये)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में दावा की गई ब्याज उपादान की राशि (रूपये)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ब्याज उपादान की राशि (रूपये)		
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
(ग)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख							
a.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-2 प्रारूप पर) सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति		हाँ		नहीं			
b.)	वर्ष के दौरान दाखिल नवीनतम जी.एस.टी. विवरणी की प्रति		हाँ		नहीं			
c.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति		हाँ		नहीं			
d.)	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति		हाँ		नहीं			
e.)	PAN CARD की प्रति		हाँ		नहीं			

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

f.)	वित्तीय सहायता हेतु बैंक/वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रमाणित प्रति	हाँ		नहीं
g.)	बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा कम्पनी/इकाई द्वारा देय एवं भुगतान की गई ब्याज धनराशि का विवरण व बैंक/वित्तीय संस्था से उसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र	हाँ		नहीं
h.)	आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेक्टर नीति-2021 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये अन्य प्रोत्साहन/छूट का अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि
i.)	आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (बैंक का नाम, खाता नं. तथा आई.एफ.एस.सी. कोड)			
j.)	आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ-पत्र (मूल रूप में परिशिष्ट-3 प्रारूप पर)			

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

- 3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Application Form for disbursement of Interest Subsidy

(क)	Details of Data Centre Park			
a.)	Name			
b.)	MD/Managing Partner/Owner/CEO's Name			
c.)	Address of Unit			
d.)	Phone No.			
e.)	Mobile No. of Concerned Person			
f.)	Fax No.			
g.)	E-mail			
h.)	Website			
i.)	Registration Certificate No.			
j.)	GST Registration No.			
k.)	Permanent Account No (PAN)			
l.)	Constitution of Organization	Ownership <input type="checkbox"/>	Partnership <input type="checkbox"/>	
		Pvt. Ltd. <input type="checkbox"/>	Corporate <input type="checkbox"/>	
		Public <input type="checkbox"/>	Society <input type="checkbox"/>	
m.)	Date of Commencement of Commercial Operations/ Business			
(ख)	Details of Loan availed by the unit			
a.)	Bank/ Financial Institution's Name & Mobile No. & E-mail			
b.)	Amount of Loan sanctioned (Rs)			
c.)	Date of receipt of Loan			
d.)	Nature of Loan	Term Loan <input type="checkbox"/>	Working Capital Loan <input type="checkbox"/>	

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

e.)	Nature of Interest		स्थिर (Fixed)		अस्थिर (Floating)	
f.)	Details of interest due on sanctioned Loan and amount received as interest subsidy in earlier years					
	Year	Financial Year	Applicable rate of Interest (%)	Total Interest Due amount (Rs)	Interest Subsidy claimed in FY Amount (Rs)	Interest Subsidy received in FY Amount (Rs)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
(ग)	Annexed Documents alongwith Application form					
a.)	Certificate issued by CA alongwith copy of first sale invoice (on परिशिष्ट-2 format).			Yes		NO
b.)	Details of GST paid during Current Year.			Yes		NO
c.)	Copy of Registration Certificate			Yes		NO
d.)	Copy of GST Registration Certificate			Yes		NO
e.)	Copy of PAN CARD			Yes		NO
f.)	Certified copy of approved Project Report issued by Bank/Financial Institution at the time of sanctioning the loan.			Yes		NO
g.)	Details of approval of loan sanctioned			Yes		NO

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	and applicable interest rate and interest paid by the unit alongwith attestation by the concerned Bank/ Financial Institution			
h.)	Details of any other incentive/ Concession obtained as per UP Data Centre Policy-2021	Nature of Incentive/ Concession	Date	Amount (Rs)
i.)	Bank Details of the applicant/unit in which after approval, subsidy amount will be transferred (Bank's Name, Account no. & IFSC Code)			
j.)	Undertaking by the Owner / Partner / Managing Director / Director of the applicant unit (in original on परिशिष्ट-3 format)			

Place:
Date:

Owner/Partner/MD/Director
Signature and Stamp

-
- 3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा कम्पनी/इकाई द्वारा देय एवं भुगतान की गई ब्याज धनराशि का विवरण

(बैंक/वित्तीय संस्था के लेटरहेड पर)

संख्या:

दिनांक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतद्द्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री के पंजीकृत कार्यालय द्वारा (बैंक/वित्तीय संस्था का नाम) से सावधि ऋण / कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त किया गया है, जिससे सम्बन्धित प्रमुख विवरण निम्नवत् है:—

- | | | | |
|---|--|-----|--------------------------------------|
| 1 | स्वीकृत ऋण की धनराशि | : | रु |
| 2 | स्वीकृत ऋण के विरुद्ध प्रथम वितरित किश्त की धनराशि | : | रु |
| 3 | प्रथम किश्त के वितरण की तिथि | : | |
| 4 | ऋण की प्रकृति | : | सावधि ऋण /
कार्यशील पूँजी ऋण |
| 5 | ब्याज की प्रकृति | : | स्थिर (Fixed) /
अस्थिर (Floating) |
| 6 | देय ब्याज की दर | : | प्रतिशत वार्षिक |
| 7 | वित्तीय वर्ष | में | : |
| | | | रु |

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

ऋणी द्वारा कुल अदा की गई

मूल धनराशि

8 वित्तीय वर्ष में : रू

ऋणी द्वारा ऋण पर कुल अदा की
गई ब्याज की धनराशि

9 वित्तीय वर्ष में : रू

ऋणी द्वारा ऋण पर कुल अदा की
गई धनराशि

पुनः प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सर्वश्री को इस बैंक/
संस्था द्वारा डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर एवं मुहर

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Details of sanctioned Loan and applicable rate of interest, due interest and amount paid by the company/unit.

(on the letter head of Bank/ Financial Institution)

No:

Date :

(To whom-so-ever it may be concern)

This is to certify that M/shaving its registered office..... has availed term loan/working capital loan from the Bank/ Financial institution's (Name)....., whose salient points are as follows:-

1. Sanctioned Load Amount : Rs
2. The Amount of first installment paid : Rs
against the sanctioned loan
3. Date of first installment paid :
4. Nature of the loan : Term loan/working capital loan
5. Nature of interest : Fixed/Floating
6. Applicable rate of interest : % Yearly
7. Total repayment of principal loan by the : Rs
loanee in financial year.
8. Total interest amount on loan paid by the : Rs
loanee during financial year.....
9. Total amount on loan paid by the loanee : Rs
during financial year.....

This is once again certified that M/s.....(Name) has not been declared defaulter by the Bank/Financial Institutions.

Place:

Date:

Signature and Stamp

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

सभी प्रकार के प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु वचन-पत्र

मैं(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री/श्रीमती/सुश्री
 निवासी - एतद्वारा निम्नवत् वचन देता/देती
 हूँ:-

- 1 यह कि अधोहस्ताक्षरी-प्रार्थी सर्वश्री (नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय(पता) एवं इकाई (पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक* है।
- 2 यह कि सर्वश्री द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश डाटा सेक्टर नीति-2021 में विहित व्यवस्थानुसार, पूँजी उपादान/ब्याज अन्य उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* पूँजी उपादान/ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्यरत/ उत्पादनरत* थी तथा फर्म/ कम्पनी/ प्रतिष्ठान* निरन्तर कार्यरत/उत्पादनरत* रही है।
- 4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान/ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।
अथवा
- 4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान* को पूँजी उपादान/ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति* के लिए दावा किया गया था और रु (रूपये)(बैंक) के चेक/ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पूँजी उपादान/ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति* के रूप में प्राप्त किया गया है।
- 5 यह कि यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* को पूँजी उपादान/ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है तो इस तथ्य की उद्घोषणा मैं आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान* इत्यादि द्वारा संचालित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति का दावा करते समय करूँगा।
- 6 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान लिखित माँग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू-राजस्व की भाँति कर ले।

स्थान

तिथि

प्रार्थी

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Undertaking for disbursement of all type of incentives

I..... (Name), age years S/o Sri
R/o..... hereby submit the following undertaking.

1. The undersigned applicant is (name)..... Owner/Partner/MD/ Director of the unit....., whose address is and registered office address, is.....
2. I have submitted an application to claim the Capital/Interest Subsidy/other subsidy as per provisions of UP Data Centre Policy-2021.
3. This is to confirm that as per definition of Ministry of Commerce/ Govt. of India the applicant Firm/Company/Organization was functional/in-Production, while submitting the application to claim the Capital Subsidy/Interest Subsidy and Firm/Company/Organization is continuously functional/in-production.
4. This is to confirm that Firm/Company/Organization has not received any amount of Capital/Interest Subsidy/ in any scheme of Govt. of India/State Government/Financial Institutions etc*

OR

- 4 This is to confirm that Firm/Company/Organization has submitted its claim for reimbursement of Capital/Interest Subsidy to Government of India/State Government/Financial Institutions and an amount of Rs(in words) has been received vide Banker Cheque/Draft/RTGS (Details) towards reimbursement of Capital/Interest Subsidy.
- 5 This is to confirm that in case applicant Firm/Company/Organization received any amount towards Capital/Interest Subsidy, in that case on behalf of applicant Firm/Company/Organization, I will declare this fact during submission of any claim for reimbursement of any incentive/ grant/ subsidy to Government of India/ State Government/ Financial Institution.
- 6 The undersigned in person and on behalf of applicant Firm/Company/Organization give this undertaking that in case all the above declaration are found wrong, untruth or misleading, in that case the total amount received towards this will be paid within 07 days on demand in writing or in case not able to pay back, Govt. will have right to recovery of the said amount with 15% interest as in the case of recovery of land revenues.

Place
Date

(Applicant)

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।